

विषय: मूखण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवं 13 खलासी लाइन आवास संख्या 7/98, 7/99, तिलक नगर, कानपुर पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग परियोजना की टी.ओ.डी. प्रालिनी के अन्तर्गत, स्वीकृति के सम्बन्ध में :

महोदय,

आपके सौजन्य से उत्तर प्रदेश में अपराधमुक्त, नयमुक्त सुशासन एवम् रामराज्य की स्थापना करने के लिये ज्योतिषा धन्यवाद ! प्रदेश का हर जनमानस अपने को गौरवान्वित महशूस कर रहा है । छद्मी एवं व्यापारी अपने व्यापार एवं उद्योग का विस्तार अब उत्तर प्रदेश में ही स्थापित करना चाहता है ।

प्रार्थी ने अपना नक्शा अनुमोदन हेतु दिनांक 13.05.2022 के यूपीओबीपीएस पोर्टल पर कानपुर विकास प्राधिकरण में दखिल कर दिया था, जो कि दो मंहर बाद , कई बार संशोधन के उपरान्त दिनांक 16.07.2022 को प्रीएप्रूवल कुछ शर्तों के साथ ( एन.ओ.सी. आवश्यक) स्वीकृत हो गया था ।

इसी बीच 24.08.2022 को प्रस्तावित नई नीति शहर के विकास के लिये तीस प्रतिशत कामर्शियल देने का प्रावधान के साथ आई, जिसमें 500 मीटर मैट्रो लाइन के अन्दर प्रस्तावित नक्शा आने पर टी.ओ.डी. में मान्यता मिलने की बात है, लेकिन उसमें किसी कारण वश एक शर्त लगा दी गयी कि अब तक नई नीति (जोनल डवलपमेन्ट प्लान) स्वीकृत नहीं होली (जो कि कई सालों का कार्य है ) तब तक जो इस नीति के अन्तर्गत आते हैं, वह भी वंचित रहेंगे ।

प्रार्थी पुरानी नीति एवं नई प्रस्तावित नीति दोनों में टी.ओ.डी. का पूर्णरूपेण हकदार है, क्योंकि नई नीति में प्रार्थी का प्लॉट मैट्रो लाइन के 200 मीटर के अन्दर आता है । प्रार्थी ने आपकी यूपी.इन्वेटर्स समिट 2023 के अन्तर्गत 500 करोड़ का एम.ओ.यू. भी किया है ।

आपसे विन्न अनुरोध है कि प्रदेश की प्रगति के हित में जो प्रकरण 24.08.2022 की तिथि से पहले निर्वर्तमान टी.ओ.डी. नीति, 2015 के अन्तर्गत स्वीकृति योग्य थे एवम् अंशआई कर चुके थे और नई टी.ओ.डी. नीति के अन्दर स्वीकार योग्य है, उनको न रोक जाये ताकि उत्तर प्रदेश का विकास सही दिशा में हो सके और अनावश्यक समय, धन व प्रगति में रुकावट न हो, जो कि वर्तमान में एक प्रसंशनीय कार्य होगा । इस ताराम्य में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बन्धित प्रमाण प्रेषित किये जा चुके हैं जिस पर सकारात्मक कार्यवाही अपेक्षित है , इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश पारित कर प्रार्थी को अनुग्रहीत करने की कृपा करें ।

सादर निवेदित,

प्रार्थी

